



2

# षट्वार्षिक खतोनी

(उन क्षेत्रों के हेतु जहां अ०वि० एक्ट लागू है)

ग्राम... माझा लिहुरा... परगना... जिला... सं०... फसली से १३-६४... फसली तक

खाला खतोनी की क्रम संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	मौखिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खातेदार की प्रत्येक गाटे की खसरा सं०.	क्षेत्रफल बन्दोबस्ती बीघों में / हेक्टेयर में व एकड़ में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक, आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालतों द्वारा साक्षीकृत हुए						टिप्पणी
						फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

खाला सं. ४६८ उपरोक्त  
 लालजी नाबालिगान आयु क्रमशः 14 व 12 वर्ष पुत्रगण व संरक्षक काशिराम यादव व मदनलाल बालिग व राम सजीवन व पुकाश व शहीदन नाबालिगान आयु क्रमशः 15, 13, 10 वर्ष पुत्रगण व संरक्षक श्री नरराम यादव नि० माझा लिहुरा का नाम बर्तौर बैतामा संकल्पणीय भूमिधार अंकित ए/अप-ए.जे. 5-8-94

आदेशानुसार सं० ना० सं० सदर के आदेश दि० 3-9-६६ के अनुपालन में खाला सं० ४६८ के 9४ कित्ता रकबा 39/100 का 1/8 भाग जालपा प्रसाद सिंह पुत्र भगोली प्रसाद सिंह का हिस्सा 3096 रु० का ग्रांम विकास बैंक लि० के जा० वाड मु० ४०००० रु० के पास में बन्धक किया गया है/अप-ए.जे. 5-8-94 प्रमाणित 19-11-97

आदेशानुसार श्रीमान सं० ना० सं० के आदेश दि० १६-११-६६ के अनुपालन में खाला सं० ४६८ के 9५ कित्ता ४१/100 का 1/4 भाग श्रीमती गीता सिंह पत्नी जालिपा सिंह का हिस्सा 3096 रु० का ग्रांम विकास बैंक लि० के जा० वाड मु० 3६००० रु० के पास में बन्धक किया गया है/अप-ए.जे. 9-८-११-६६ प्रमाणित 19-11-97

आदेशानुसार श्रीमान सं० ना० सं० के आदेश दि० 3-2-2010 के अनुपालन में आदेश हुआ कि ग्राम-माझा लिहुरा पर०- ६० अ० त० ४६८ के ६० के खतोनी खाला सं० 468 पर अंकित गाटा सं० के 1/4 भाग पर कालिका प्रसाद पुत्र भगोली प्रसाद सिंह का हिस्सा 3096 रु० का ग्रांम विकास बैंक लि० के जा० वाड मु० 3६००० रु० के पास में बन्धक किया जाता है/अप-ए.जे. 19-2-2010 प्रमाणित 19-2-10

आदेशानुसार श्रीमान सं० ना० सं० सदर के आदेश दि० 4-8-16 के आदेश हुआ कि ग्राम-माझा लिहुरा के खतोनी खाला सं० 468 के खतेदार राम चरन सिंह पुत्र भगोली प्रसाद सिंह का नाम गाटा सं० 526/10-250, 541/10-720, 542/10-720, 543/10-640, 544/10-648, 545/10-475, 559/10-376, 1443/10-720, 1444/10-720, 1448 व 10-530, 531/10-950, 785/3/10-190, 1271/10-127, 1291/10-381

फार्म मिलने का पता :- P.T.O. इलेक्ट्रोस्टेट, इंदगाह के सामने, सिविल साइन्स, फे०, अयोध्या

# षट्वार्षिक खतोनी

(3)

(उन क्षेत्रों के हेतु जहां अंवि० एक्ट लागू है)

ग्राम माझा तिहुरा परगना दवेली अकध तहसील सदर जिला फैजाबाद सं० २३८० फसली सं० ६६४ फसली तक

खता खतोनी की क्रम संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	मौखिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खातेदार की प्रत्येक गाटे की खसरा सं०	क्षेत्रफल इंचोबस्ती बीघों में / हेक्टेयर में व एकड़ में	खातेदार द्वारा देय मालजुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक, आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालतों द्वारा साक्षीकृत हुए						टिप्पणी
						फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	

खता सं० 592 उपरोक्त

1. कुल 14 फीस रकवा 8-100 का 1/3 भाग यानी 2-700 हे० आदि शीवली आदि बैंक कि० पु० पराज गे० ए० हाऊस सिविल लाइन्स फैजाबाद के फस सं० 6,50,000, (द० लाख पचास हजार रुपये) में बंधक किया जाता है।  
 19-5-08

आदेशानुसार श्रीमान सं० न० १००० सदर फैजाबाद के आदेश दि० 26-3-08 के अनुपालन में पता सं० 1510 दि० 24-3-08 के अन्तर्गत ग्राम-माझा तिहुरा के खता सं० 11,185, 468, 583 व 585 के काशीराम पु० बहीटे व राजेन्द्र उर्फ इन्द्र पु० काशीराम का कुल रकवा मुनिपन बैंक आफ इंडिया शाखा मुम्बई के शवपुर फैजाबाद के फस सं० 1,50,000-00 (मुनिपन ग्रीन कार्ड हेतु) बंधक किया जाता है।  
 01-5-2008 मुम्बई 1-5-08

आदेशानुसार श्रीमान सं० न० १००० सदर फैजाबाद मु० सं० 19/152 आदेश हुआ कि खता सं० 1445 मि० सं० 9-11-0 में से 1445 मि० सं० 1-11-9 धुर यानी 0-3977 हे० लगान एवं पति दे विक्रेता श्रीमती चम्पा देवी सिंह पत्नी श्री उदय आन सिंह शाव तिहुरा का नाम खारिज करके केला श्रीमती आन मती पत्नी श्री राम तेज पांडव व होन पती पत्नी राम शंकर पांडव एवं माझा तिहुरा का नाम वैनामा के आधार पर सं० 36 सं० 0-11-11

आदेशानुसार श्रीमान सं० न० १००० सदर फैजाबाद वाड सं० 176 वाड सं० 14-9-18 को आदेश हुआ कि खता सं० 468 गाटा सं० 1445/9-11-0 में से रकवा 0-202 हे० लगान इरवपती दे विक्रेता श्रीमती गीला सिंह पत्नी श्री जालपा सिंह एवं माझा तिहुरा का नाम खारिज होकर केला श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी राम बहादुर सिंह निवासी एवं जरीर गंज पाठसर तहसील-सदर जिला-फैजाबाद का नाम वैनामा दिनांक 24-11-15 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।  
 19-9-18

आदेशानुसार श्रीमान सं० न० १००० सदर आदेश दिनांक 15-12-14 में आदेश हुआ कि श्रीमती गीला सिंह पत्नी जालपा सिंह रहननामा 60,000-00 निष्पादन तारीख 19-5-14 तथा 36,000-00 तथा जालपा सिंह उर्फ जालपा प्रसाद सिंह पु० अमोती प्रसाद सिंह रहननामा 40,000-00 व जालपा सिंह उर्फ जालपा सिंह पु० अमोती प्रसाद सिंह रहननामा 2,000,00 निष्पादन तारीख 19-5-14

खाता सं  
४६६  
उपरोक्त

उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक लि० शाखा व जनपद के जाबाद का बन्धक मुक्त किया जाता है / अप. ए. ले. 31-12-14

आदेशानुसार श्रीमान स० ना० त० महोदय सदर के जाबाद वाद सं० 137 द्वारा 54 सं० के 10-11-15 में आदेश हुआ कि खाता सं० 468 के गाता सं० 1445 सं० 9-11-0 में विक्रेता का सम्पूर्ण बकाया हिस्सा 1/6 भाग सं० 1-11-15 - 1/2/3 दूर लगान दखलती है विक्रेता जनार्दन सिंह उर्फ वन्दू सिंह पुत्र कालिका सिंह सा० माझा तिहुरा परगना - देवी अम्बा त० व जि० के जाबाद का नाम खारिज होकर केला सत्यभान सिंह पुत्र श्री धृजानन्द सिंह सा० 7/1/53/वजीर गंज वी० सदर जि० के जाबाद का नाम बतौर बैनामा के आधार पर संशुद्ध दर्ज है / अप. ए. ले. 18-11-15

आदेश श्रीमान स० ना० त० सदर अयोध्या द्वारा वाद सं० 119 आदेश दि० 17-5-19 का आदेश हुआ कि खाता सं० 468 के गाता सं० 1443 सं० 3-0-0 में से 1/3 सं० 1-0-0 यानि 0-2533 सं० ल० दखलती है विक्रेता गण जालपा प्रसाद पुत्र भगौरी प्रसाद सिंह व श्रीमती गीता सिंह पत्नी जालपा प्रसाद सिंह नि० तिहुरा माझा का नाम खारिज होकर केला गण विजय प्रकाश तिवारी व शिव प्रकाश तिवारी पुत्र गण नरेन्द्र प्रसाद तिवारी नि० तिवारी भवन नोन हरिया कनी गंज का नाम बैनामा दि० 08-03-2019 के आधार पर संशुद्ध दर्ज है / अप. ए. ले. 21-5-19

आदेश श्रीमान स० ना० त० सदर के द्वारा वाद सं० 209 दि० 26-7-19 का आदेश हुआ कि खाता सं० 468 के गाता सं० 1444 सं० 3-0-0 में से 20220 अपना सम्पूर्ण अंश ल० दखलती है विक्रेता श्री जालपा प्रसाद सिंह पुत्र भगौरी प्रसाद सिंह नि० तिहुरा माझा का नाम खारिज होकर केला गण विजय प्रकाश तिवारी, शिव प्रकाश तिवारी पुत्र गण नरेन्द्र प्रसाद तिवारी नि० नोन हरिया कनी गंज का नाम बैनामा दि० 07-6-19 के आधार पर संशुद्ध दर्ज है / अप. ए. ले. 29-7-19

आदेशानुसार श्रीमान स० ना० त० सदर अयोध्या के आदेश दि० 16-5-19 एवं वारिष्ठ प्रबन्धक उ० प्र० सहकारी ग्राम जि० बैंक शाखा अयोध्या जनपद अयोध्या के द्वारा दि० 02-5-19 के अनुपालन में ग्राम-माझा तिहुरा के खाता सं० 468 के खातेदार जालपा सिंह पुत्र भगौरी प्रसाद सिंह व गीता सिंह पत्नी जालपा सिंह द्वारा लिया गया ऋण 2, 36, 51, 8/-00 ( दो लाख दस हजार पांच हों अठारह रु. ऋण अदायगी के बाद शर मुक्त हुआ / अप. ए. ले. 16-5-19

आदेशानुसार श्रीमान स० ना० त० सदर अयोध्या द्वारा उपर 6 भाग 2 के क्रमांक व दि० 810/24-5-22 का आदेश हुआ कि खाता सं० 169, 468 के लोनपती पत्नी राम-शंकर मृतक के ध्यान पर रामजी व श्यामजी पुत्र गण रामशंकर का नाम बतौर वारिस दर्ज है / अप. ए. ले. 07-6-22

P-T.O.

5

# षट्मासिक खतौनी

(उन क्षेत्रों के हेतु जहाँ अ०वि० एक्ट लागू है)

ग्राम... माझा लिहुरा... परगना... हवेली अन्वेष... तहसील... सदर... जिला... के जालपा... सं० १३... फसली से १३... फसली तक

खतौनी की क्रम संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	मौखिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खातेदार की प्रत्येक गाटे की खसरा सं०	क्षेत्रफल बन्दोबस्ती बीघों में / हेक्टेयर में व एकड़ में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक, आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालतों द्वारा साक्षीकृत हुए						टिप्पणी
						फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	फसली सं०	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खा.ता.सं. ४६८ अपरैक्ट	आदेशानुसार श्रीमान सं० अ० अ० अयोध्या द्वारा वाद सं० D 2021/0423/00 00406 आदेश दि० 02-4-22 को आदेश हुआ कि खाला सं० 468 के गाटा सं० 1448 व रकवा 695.63 वर्ग मी० पर से विक्रेता कालिका प्रसाद सिंह उर्फ कालिका सिंह पुत्र भगौती प्रसाद सिंह नि० लिहुरा माझा लिहुरा का नाम खारिज करके केला शीमल गरिमा गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता नि० प्लॉट नं० 33/ए - 403 आई काम्प्लेक्स मैदान गडी रोड दत्तरपुर इन्वलेव नई दिल्ली का नाम विक्रय पत्र क्रमांक 10194 दि० 15-12-20 एवं शुद्धि पत्र दि० 17-11-21 के आधार पर अंकित हो											
	आदेशानुसार श्रीमान सं० अ० अ० अयोध्या द्वारा वाद सं० D 2021/0423/0000402 आदेश दि० 02-4-2022 को आदेश हुआ कि खाला सं० 468 गाटा सं० 1448 व रकवा 632.43 वर्ग मी० से विक्रेता कालिका प्रसाद सिंह उर्फ कालिका सिंह पुत्र भगौती प्रसाद सिंह नि० लिहुरा का नाम खारिज करके केला संजय गुप्ता पुत्र माधुमल नि० प्लॉट नं० 33/ए - 403 आई काम्प्लेक्स मैदान गडी रोड दत्तरपुर इन्वलेव नई दिल्ली का नाम विक्रय पत्र क्रमांक 10192 दि० 15-12-20 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 11503 दि० 17-11-21 के आधार पर अंकित हो											
	आदेशानुसार श्रीमान सं० ना० ल० सदर के सं० नं० 116 दि० 3-5-10 को आदेश हुआ कि ग्राम- माझा लिहुरा के खाला सं० 468 के गाटा सं० 1445 मि० 5-11-09 में से केवल 4-0-0 यानि 1-0/2 हे० लगान दख- पर्ता से विक्रेता चम्पा सिंह पत्नी उदयभान सिंह धा० माझा लिहुरा का नाम खारिज करके भानमती पत्नी रामलाल यादव व सौनपती पत्नी रामशंकर यादव नि० लिहुरा का नाम बैनामा के आधार पर सं० 30-7-10											
	आदेशानुसार श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर के जवाब के आदेश दि० 20-6-11 अचल सम्पत्ति कुकी अधिपत्र जमींदारी बिनाश आकार पत्र सं० 73 व दिनांक 20-6-11 द्वारा श्री जालपा सिंह पुत्र											

कर्म मिलने का पता :- इलाहाबाद, इलाहाबाद के माधने स्थित तहसील के अन्वेष

खाता सं.  
४६८  
उपरोक्त

(6)

श्री भर्गोली सिंह सा. माझा तिहुरा, परगना हवेली अवध त. सदर  
कैजाबाद के खाता सं 468 के गां सं  $\frac{1445}{9-16-0}$ ,  $\frac{52011}{0-19-15}$ ,  $\frac{541}{3-0-0}$   
 $\frac{542}{3-0-0}$ ,  $\frac{543}{2-10-0}$ ,  $\frac{544}{2-10-0}$ ,  $\frac{545}{1-17-10}$ ,  $\frac{559}{3-8-15}$ ,  $\frac{1443}{3-0-0}$ ,  $\frac{1444}{3-0-0}$   
 $\frac{1448व}{2-2-0}$ ,  $\frac{531व}{3-15-0}$ ,  $\frac{785}{0-15-0}$ ,  $\frac{1272/2}{0-10-0}$ ,  $\frac{1291/1}{1-10-0}$  उपरोक्त

गां में बकदर हिस्सा स्थित ग्राम माझा तिहुरा तहसील सदर कैजाबाद  
कुर्क कर लिखा गया है - /अप.द.जे.  
23-6-11

आदेशानुसार श्रीमान ए.ना.त. सदर अयोध्या द्वारा वाद सं 1008/2024  
मुं.क.वा.द सं 7202 40 423 01010 08 तां कै.दि. 21-3-24 को आदेश  
हुआ कि खाता सं 468 के गां सं 1445 रकवा 0.226 475 हे पर से विक्रित  
सहज राम व लालजी व परसराम पुत्रगण काशीराम यादव नि. माझा तिहुरा  
पो.दर्शननगर पर.ह. अ. त. सदर जिला. अयोध्या का नाम खारिज करके  
कैला श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री विमल चन्द्र सिंह नि. 302 विलाश रेकी-  
डेन्सी 5/श्री मन्ना सिंह गली नार्थ एस.के.ठ. पुरी राजेश पेट्रोल पम्प.  
बोरिंग रोड पटना बिहार का नाम विक्रम पत्र क्रमांक 562 दि. 16-01-2024  
के आधार पर अंकित है - /अप.द.जे.  
27-3-24

आदेशानुसार श्रीमान सहायक अभिलेख अधिकारी महोदय कैजाबाद  
मुं.नं. 333 तां कै. 19-12-05 को आदेश हुआ कि ग्राम. माझा तिहुरा परगना-  
हवेली अवध, तहसील. सदर, जनपद. कैजाबाद के आधार वर्ष खतीनी 1389-94  
फं. के खाता सं 468 के गां सं 1445 सं 9-11-0 में है सम्पूर्ण हिस्सा 5-11-9  
धुर खानी 1.409 हे लगान हस्तपती है विक्रित गण कालिका सिंह व राम-  
चरण सिंह पुत्रगण भर्गोली सिंह नि. तिहुरा का नाम खारिज होकर कैला श्रीमती  
चम्पा सिंह पत्नी उदय भान सिंह नि. तिहुरा का नाम भर्गोली (संमणीप भूमिधर  
जैनाभा के आधार पर दर्ज है - /अप.द.जे.  
22-12-05      5 अ.दि.  
28-12-05

खाते पर ऑ. की आदेश अंकित है

— द्वारा प्राप्त सत्यापित.

द्वारा 26 के अ.दि. 14/11

18/11/24

18/11/24

राज कलाश सिंह  
अ.दि.  
क्षेत्र .....



खाल सं ४६८  
५५०५८



आदेशानुसार शीमान सं-नां ०० सदर अघोष्या द्वारा वाद सं ५५७२/२०२५ क्र० वाद सं ०१०२०२५०५२३०१०५५७२ तां १३-०५-२०२५ को आदेश हुआ कि खाल सं ५६८ के गाटा सं १५५५ रकबा ०.२०१३ हे० पर से विक्रेता सुतयभान सिंह पुत्र वृज-नन्दन सिंह नि० ७/१/५३२ दावनिधा वजीरगंज के जावाद जन-पद अघोष्या का नाम खारिज करके केता एच० ओ० एच० वी० एल० शिपल टेक प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय तृतीय मंजिल लोहा एक्सेलस अपोलो मिल्स कम्पाउंड एन० एम० जोशी मार्ग महालक्ष्मी मुम्बई शहर महाराष्ट्र द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री जिनेश नरेन्द्र गोसल्या

पुत्र श्री नरेन्द्र जे गिहलिया नि० विलिंग नं० १५ बालाजी डायमंड ई/६०२ आगाशी अरणाला रस्ता, बालाजी काम्प्लेक्स पूरपडा बिरारवेहट आगाशी पालघर महाराष्ट्र व हालपता १६८/११ प्लॉट सं १२१ सह्यादतगंज तह-सदर, जं०-अघोष्या का नाम विक्रय पत्र क्रमांक ३५५८ दि० १८-०३-२०२५ के आधार पर अंकित है / अप.द.ले.  
२५-०५-२५

आदेशानुसार शीमान सं-नां ०० सदर अघोष्या द्वारा वाद सं ५५७३/२०२५ क्र० वाद सं ०१०२०२५०५२३०१०५५७३ दि० १३-०५-२०२५ को आदेश हुआ कि खाल सं ५६८ के गाटा सं १५५५ रकबा ०.२०१३ हे० पर से विक्रेता पुष्पा सिंह पत्नी श्याम वहापुर सिंह नि० ७/१/५३१ कैवटहिया वजीरगंज के जावाद जनपद अघोष्या का नाम खारिज करके केता एच० ओ० एच० वी० एल० शिपल टेक प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय तृतीय मंजिल लोहा एक्सेलस अपोलो मिल्स कम्पाउंड एन० एम० जोशी मार्ग महालक्ष्मी मुम्बई शहर महाराष्ट्र द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री जिनेश नरेन्द्र गोसल्या पुत्र श्री नरेन्द्र जे गिहलिया नि० विलिंग नं० १५ बालाजी डायमंड ई/६०२ आगाशी अरणाला रस्ता बालाजी काम्प्लेक्स पूरपडा बिरारवेहट आगाशी पालघर महाराष्ट्र व हालपता १६८/११ प्लॉट सं १२१ सह्यादतगंज तह-सदर, जं०-अघोष्या का नाम विक्रय पत्र क्रमांक ३५६२ दि० १८-०३-२०२५ के आधार पर अंकित है / अप.द.ले.  
२५-०५-२५

नोट-इस खाल पर कोई भी आदेश है।  
खाली जमीन है।

सत्यप्रदीप  
मिथामुखार (अधिकृत प्रमुख)  
Ravind  
26/5/24